संख्या- 363 /2025/ 2707 /चार-2025-1697349

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025**

विषय:- चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर प्रदेश के 05 जनपदों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को भुगतान किये जाने की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1672/सं0नि0-15(109)/2022-23, दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 229 /2025/ 2707 /चार-2025- 1697349 दिनांक 27 मई, 2025 द्वारा चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 41.30 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए व्यय का भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा संबंधित जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् के माध्यम से किया जायेगा। उक्त के संबंध में कतिपय जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषदों द्वारा कार्यक्रम कराते हुए कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए कलाकारों को मानदेय का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद का नाम	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि
1.	पर्यटन सूचना अधिकारी/सचिव, जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद, इटावा	10,000.00
2.	पर्यटन सूचना अधिकारी/सचिव, जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद, बलरामपुर	50,000.00
3.	पर्यटन सूचना अधिकारी/ सचिव, जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद, श्रावस्ती	1,80,000.00
4.	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, दहगवां, बदायूं	10,000.00
5.	जिलाधिकारी, संत कबीर नगर	59,960.00
(रूपये तीन लाख नौ हजार नौ सौ साठ मात्र)		**3,09,960.00**

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-229/2025/1692/चार-2025, दिनांक 27 मई, 2025 द्वारा चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में प्रदेश के 41 जनपदों हेतु रू0 41.30 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या-229/2025/1692/चार-2025, दिनांक 27 मई, 2025 के क्रम में प्रदेश के 05 अन्य जनपदों- इटावा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बदायूं एवं संत कबीर नगर में चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को भुगतान किये जाने हेतु **रू0 3,09,960.00 (रू0 तीन**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

लाख नौ हजार नौ सौ साठ मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **इस शर्त के साथ** सहर्ष प्रदान करते हैं कि शासनादेश संख्या-179/2025/1149/चार-2025-1697349, दिनांक 29 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-229/2025/1692/चार-2025, दिनांक 27 मई, 2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- संबंधित अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।